कुलसचिव
Registrar

0542 – 2222689 (O)
0542 – 2223099 (R)
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–२२१००२
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002

पत्रांकः–कु0स02सी–समिअ/ 2405 /(कार्य परि0बैठक–03–04)/14 दिनांकः– 17 जनवरी, 2015

कार्य परिषद् की आपात बैठक दिनांक 09.01.2015 का कार्यवृत्त

मा0कुलपति जी की अध्यक्षता में कार्य परिषद् की आपात बैठक दिनांक **09–01–2015** को पंत प्रशासनिक भवन स्थित 'डॉ0सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष' में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1– डॉ0पृथ्वीश नाग, कुलपति	–अध्यक्ष
2– प्रो0सत्येन्द्र नाथ चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय।	–सदस्य
3– प्रो0श्रद्धानन्द, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय।	–सदस्य
4– प्रो0ओम प्रकाश सिंह, म0मो0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान।	–सदस्य
5–डॉ0अरविन्द कुमार राम, प्राचार्य, डॉ0श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज0महा0, भदोही सं0र0न0।	–सदस्य
6–डॉ0तारा देवी, प्राचार्य, शहीद हीरा सिंह राज0महा0, धानापुर, चन्दौली।	–सदस्य
7–डॉ0सूर्यभान प्रसाद, राजनीति विज्ञान विभाग।	–सदस्य
8–डॉ0ब्रजेश कुमार सिंह, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग।	–सदस्य
9–डॉ0अमिता सिंह, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग।	–सदस्य
10–डॉ0रमेश चन्द्र, उपाचार्य, हिन्दी विभाग।	–सदस्य
11–डॉ0सुशील कुमार गौतम, उपाचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग।	–सदस्य
12–डॉ0राजेन्द्र सिंह, प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग।	–सदस्य
13–डॉ0सुरेश चन्द्र चौबे, प्राध्यापक, संस्कृत विभाग।	–सदस्य
14–कुलसचिव, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	–सदस्य/सचिव
15–वित्त अधिकारी, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	–विशेष आमंत्रित

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गये :–

बिन्दु सं0(01):– संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1685/सत्तर–6–2014–3(82)/2014 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें शैक्षिक सत्र 2014–15 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय में जमा प्रस्तावों को सकारण समयबद्ध निस्तारित करने के सम्बन्ध में विचार।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 सं0 1685/सत्तर–6–2014–3(82)/2014 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 1963/सत्तर–2–2013–16 (165)/2012 टी0सी0 दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा सत्र 2014–15 के सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निर्धारित समय सारिणी एवं समय–समय पर विस्तारित तिथि के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा शासन के प्रस्ताव भेजने की तिथि एवं शासन स्तर पर प्रस्तावों के निस्तारण हेतु आयोजित बैठक की तिथि का विवरण इस प्रकार है–

कमांक	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय में निरीक्षण आख्या जमा होने की तिथि	शासन में सम्बद्धता प्रस्ताव जमा करने की निर्धारित तिथि	शासन के पत्र/शासन स्तर पर आयोजित बैठक की तिथि
1.	शासनादेश सं0	**15.04.2014**	**30.04.2014**	शासनादेश संख्या

	1963/सत्तर–2–2013–16 (165)/2012 टी0सी0 दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्धारित समय सारिणी			287/सत्तर–02–2014–16 (112)/2010 दिनांक 02.05.2014 द्वारा निर्धारित बैठक की तिथि 15.05.2014
2.	शासनादेश सं0 325/सत्तर–2–2014–16 (165)/2012 टीसी दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा विस्तारित तिथि	विश्वविद्यालय में जमा प्रस्तावों जिनकी निरीक्षण आदि की औपचारिकताये समयान्तर्गत किन्ही कारणोंवश पूर्ण नहीं हो सकी है उनकी औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए बैठक में सहभागिता	02.06.2014	निर्धारित बैठक की तिथि 02.06.2014
3.	शासनादेश सं0 402/सत्तर–02–2014–16(120)/2014 दिनांक 03 जुलाई, 2014 द्वारा विस्तारित तिथि	जिलाधिकारियों से भूमि सम्बन्धी आख्याये समय से न आने पर विलम्ब होने के कारण विस्तारित तिथि	05.07.2014	शासनादेश संख्या 445/सत्तर–2–2014 (112)/2010 दिनांक 07.07.2014 द्वारा निर्धारित बैठक की तिथि दिनांक 10.07.2014

उपर्युक्त के अनुसार शासन में सम्बद्धता प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 05.07.2014 के पूर्व दिनांक 04.07.2014 तक जिन महाविद्यालयों ने अपने महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करा लिया था उनकी सम्बद्धता से सम्बंधित पत्रावली दिनांक 05.07.2014 को शासन में जमा कर दी गयी थी और शासन द्वारा दिनांक 10.07.2014 की बैठक में ली गयी संस्तुति के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता आदेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया गया।

ज्ञातव्य है कि 05.07.2014 के बाद कतिपय महाविद्यालयों ने सम्बद्धता हेतु अपने महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कराकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। शासन द्वारा दिनांक 05.07.2014 के बाद सम्बद्धता प्रस्ताव शासन में जमा करने के लिए तिथि विस्तारित नहीं की गयी जिसको सम्बद्धता दी जानी है।

निर्णयः– कुलसचिव ने श्री जय प्रकाश अंचल, मा0 विधायक बैरिया, बलिया द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र एवं उसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को भेजे गये पत्र को कार्यपरिषद के संज्ञान में लाया। परिषद ने संदर्भगत पत्रों पर गहन विचार विमर्श के अनन्तर यह पाया कि शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30.04.2014 तक शासन में जमा किये गये सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासन स्तर पर दिनांक 15.05.2014 को बैठक आयोजित कर प्रस्तावों का निस्तारण किया गया। इसके बाद क्रमशः दिनांक 02.06.2014 एवं दिनांक 05.07.2014 तक प्रस्ताव जमा करने हेतु तिथि विस्तारित कर क्रमश 02.06.2014 एवं 10.07.2014 को शासन स्तर पर बैठक आयोजित की गयी। दिनांक 05.07.2014 के बाद सत्र 2014–15 की सम्बद्धता हेतु शासन द्वारा कोई तिथि विस्तारित नहीं की गयी और शासन के पत्र सं0 8361–15 (15) 2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 की प्रति उपलब्ध करायी गयी उसमें भी कही उल्लिखित नहीं था कि दिनांक 05.07.2014 के बाद निरीक्षण कराकर किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर सत्र 2014–15 की सम्बद्धता के लिए कार्य परिषद विचार कर सकती है। ऐसी स्थिति में जिन महाविद्यालयों ने दिनांक 05.07.2014 के बाद निरीक्षण कराकर प्रस्ताव जमा किया वह शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2014 के प्रथम विन्दु/प्रथम प्रस्तर के अनुसार 2015–16 की सम्बद्धता की परिधि में आ रहे थे।

अन्त में परिषद ने मा0 विधायक के पत्र, प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश एवं शासन के संदर्भगत पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के आलोक में छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए कार्य परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि प्रश्नगत महाविद्यालयों के प्राप्त सम्बद्धता प्रस्तावों पर सम्बद्धता

समिति की परीक्षणोपरान्त संस्तुति प्राप्त कर सम्बद्धता आदेश इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किया जाय कि **''महाविद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा छात्रों का 180 दिन/सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित अध्ययन–अध्यापन अवधि के अनुसार अध्यापन कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही सम्बंधित विषयों के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जाय।''** सम्बद्धता आदेश की सूचना आगामी कार्यपरिषद में दी जाय।

बिन्दु सं0(02):– कतिपय संस्थाओं द्वारा बी0एस0–सी0 नर्सिग, पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग एवं बी0पी0टी0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, द्वारा मेडिकल से सम्बंधित कतिपय कालेजों की सम्बद्धता का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया था जिसे शासन ने अपने पत्र सं0 3804/71–2–14–एन–7/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 द्वारा कुलसचिव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिसूचना दिनांक 18.07.2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस कर दिया गया जिसके आलोक में विचार किया जाना है।

निर्णयः– कार्य परिषद ने विचार विमर्श के अनन्तर कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि उपर्युक्त से सम्बंधित प्राप्त प्रस्तावों पर सम्बद्धता समिति की संस्तुति प्राप्त कर सत्र 2014–15 से सम्बद्धता आदेश इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किया जाय कि संस्था के निदेशक द्वारा सम्बंधित साम्विधिक संस्था द्वारा निर्धारित अध्ययन–अध्यापन कार्यावधि पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही इन पाठ्यक्रमों के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जाय। सम्बद्धता आदेश की सूचना आगामी कार्य परिषद में दी जाय।

साथ ही परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि संस्था के निदेशकों द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अध्यापकों को रियायती दर पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

बिन्दु सं0(03):– पूर्व में सम्बद्धता के प्रस्तावों का आगामी सत्र 2014–15 से समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु शासनादेश सं0 1963/सत्तर–2–2013–16(165)/22012 टीसी दिनांक 11 दिसम्बर ,2013 द्वारा समय सारिणी निर्धारित की गयी थी जिसे निरस्त करते हुए सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु उ0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग 2 के पत्र सं0 710/सत्तर–2–2014–16(165)/2012 टी.सी. दिनांक 14.11.2014 द्वारा नयी समय सारिणी निर्धारित की गयी जिसे अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णयः– परिषद ने विचार विमर्श के अनन्तर सम्बद्धता हेतु शासनादेश **सं0 710/सत्तर–2–2014–16 (165)/2012 टीसी दिनांक 14.11.2014** द्वारा निर्धारित समय सारिणी को यथावत स्वीकार किया जो अधोलिखित प्रकार हैः–

क0	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय सीमा (आगामी शिक्षा सत्र के लिए)	
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि	**प्रथम चक**	**अंतिम चक**
		दिनांक 30 जून तक। **(1)** 30 जून तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे। **(2)** जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ आवेदन कर सकते हैं किन्तु	**दिनांक 31 दिसम्बर तक** **(1)** 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे। प्रथम चक में उल्लिखित प्रकिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

		ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से हीं कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0 ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।	
2.	विश्वविद्यालय में जमा किये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	**दिनांक 15 अगस्त तक।** (1) खतौनी का सत्यापन आन–लाइन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन विन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियॉ लगाई जा रही हैं।	**दिनांक 15 फरवरी तक** प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रकिया/निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3.	अनापत्ति आदेश निर्गत किया जाना	**दिनांक 31 अगस्त तक**	**दिनांक 28/29 फरवरी, तक**
4.	निरीक्षण मण्डल का गठन	**दिनांक 20 सितम्बर, तक** (1) अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् संस्था द्वारा दिनांक 10 सितम्बर तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार–बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग–अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यो में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्यआचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।	**दिनांक 20 मार्च तक** (1) अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 मार्च तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रकिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	**दिनांक 15 अक्टूबर तक।** **(1)** प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। **(2)** निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन विन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। **(3)** समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	**दिनांक 15 अप्रैल तक** प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रकिया/निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 30 नवम्बर तक।**	**दिनांक 30 मई तक**
7.	शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 15 दिसम्बर तक।**	**दिनांक 15 जून तक**
8.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 15 जनवरी तक**	**दिनांक 15 जुलाई तक**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार :–

बिन्दु सं0(01):– कुलसचिव द्वारा परिषद् के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय के नाम में प्रयुक्त **''गाँधी''** शब्द में कहीं **'गा'** पर बिन्दु (•) और कहीं **'गा'** पर चन्द्र बिन्दु (ॅ) प्रयुक्त हो रहा है जबकि विधिक दृष्टि से एकरुपता होनी चाहिए।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1226/सत्रह/वि0–1–2(क)28–1995 दिनांक 11 जुलाई, 1995, को जारी अधिसूचना में उक्त विश्वविद्यालय का नाम **'काशी विद्यापीठ'** के स्थान पर **'महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ'** परिवर्तित किया गया, उक्त अधिसूचना में **'गांधी'** शब्द में **'गा'** के उपर बिन्दु (•) प्रयुक्त है। अतः तद्नुसार विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों में **''गांधी''** शब्द में **'गा'** के उपर केवल बिन्दु (•) का प्रयोग किया जाय। साथ ही परिषद् ने वर्तमान समय के उपाधि में उक्त संशोधन की कार्यवाही को पुष्ट किया।

बिन्दु सं0(02):– कार्य परिषद् के पटल पर वर्ष 2015 की अवकाश सूची अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर वर्ष 2015 की अवकाश सूची को अनुमोदित किया।

बिन्दु सं0(03):– परिषद् के कतिपय मा0सदस्यों द्वारा परिसर के भवनों में शौचालय(टॉयलेट) की समस्याओं पर परिषद् का ध्यानाकर्षण किया।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर शौचालय(टॉयलेट) की समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव के लिए अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया–

1. प्रो0एस0एन0चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय

2. प्रो0श्रद्धानन्द, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय
3. प्रो0वन्दना सिन्हा, समाजकार्य विभाग
4. डॉ0अमिता सिंह, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग एवं सदस्य, कार्यपरिषद्

बिन्दु सं0(04):– परिषद् के कतिपय मा0सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध स्थानों पर उपलब्ध भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण उठाया।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर सर्वप्रथम आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास के पीछे(दक्षिण तरफ)की भूमि पर सीमांकन कार्य कराने के लिए प्रो0ओम प्रकाश सिंह, निदेशक, म0मो0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान एवं सदस्य–कार्य परिषद् को अधिकृत किया।

बिन्दु सं0(05):– कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.10.2014 अध्यक्ष की अनुमति के अन्तर्गत बिन्दु–7 के अन्तर्गत **''श्री अजय नाथ त्रिपाठी, संविदा खेल प्रशिक्षक''** के स्थान पर **''डॉ0अजय नाथ त्रिपाठी, संविदा अध्यापक''** त्रुटि से अंकित होने का उल्लेख किया गया।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर त्रुटि सुधार करते हुए **''डॉ0अजय नाथ त्रिपाठी, संविदा अध्यापक''** के स्थान पर **''श्री अजय नाथ त्रिपाठी, संविदा खेल प्रशिक्षक''** अंकित किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

(ओम प्रकाश)
कुलसचिव